न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
22/2017/प्रा.पत्र/2017	07.03.2017	24.05.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1–श्री कालूराम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहे के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 10 पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0
2– मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहे के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक
3–श्री दीपक अग्रवाल पुत्र रामगोपाल प्रोपरायटर मैसर्स अग्रसेन एजेन्सीज सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवासी माताजी का चौक लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक
4– मैसर्स अग्रसेन एजेन्सीज सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक
5–श्री सुखदेव भाई सानेपारा पुत्र एन.एम. सानेपारा पार्टनर मैसर्स बालाजी ऑयल एण्ड फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज जे–376 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 निवासी सारंगपुर अमरेली सूरत गुजरात
6–श्री रोहित परागजी भाई गोल पुत्र अमरीश भाई गोल पार्टनर मैसर्स बालाजी ऑयल एण्ड फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज जे–376 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 निवासी सारंगपुर अमरेली सूरत गुजरात
7– मैसर्स बालाजी ऑयल एण्ड फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज जे–376 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0

...... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2–अप्रार्थी उपस्थित

:–निर्णय–: दिनांक 24.05.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.08.2016 को समय सांय 2.22 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहे के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. की हैसियत से कालूराम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहे के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 10 पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)** जिसके लोट/बैच नं. 07 दिनांक जुलाई 2016 थी रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर, एफ.बी.ओ. श्री कालूराम जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता कालूराम जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

आवेदक द्वारा दुकान में **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)** के 455–455 ग्राम के 12 नग/ बोतल मे से 4 मूल पैक 455–455 ग्राम के पैक ज्यो का त्यो साफ प्रिन्टेड का चयन किया वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुये मे से 4 मूल पैक 455–455 ग्राम **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक(Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)** वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री कालूराम जैन को रू0 179/–अक्षरे एक सो उन्यासी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)** 455&455 ग्राम के 4 नग कुल मात्रा 1820 ग्राम सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक को बराबर–बराबर (एक भाग 455 ग्राम) अलग–अलग चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बो मे अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1429 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांक़ी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1429 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी. ओ. कालूराम जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की। खाध पदार्थ का नमूना कय करते समय श्री कालूराम जैन ने मौके पर **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)**बतोर वारन्टी मैसर्स अग्रसेन एजेन्सीज सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक का खरीद बिल कमांक/इन्वॉइस नं. 859 दिनांक 18.07. 2016 की छायाप्रति प्रति पेश की।वारन्टी होने के कारण मैसर्स अग्रसेन एजेन्सीज सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक ने बतोर वारन्टी मैसर्स बालाजी ऑयल एण्ड फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज जे–376 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 का खरीद बिल कमांक/ इन्वॉइस नं. 268 दिनांक 06.07.2016 की छायाप्रति प्रेषित कर उक्त खाध पदार्थ **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक** कय करना बताया।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./16/3561 दिनांक 08.09.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/469/एक्ट/2016/519 दिनांक 12.08.2016 एवं निदेशक, रेफरल फूड लेब मैसूर की अंतिम जांच रिपोर्ट दिनांक 12.01.2017 के अनुसार कालूराम जैन से वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **असुरक्षित (Unsafe) /अवमानक (Sub-Standard)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा **असुरक्षित (Unsafe) /अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)**का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(i) एंव **धारा 3 (1) (zx)** का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाव प्रस्तुत नहीं किया तथा अपना जुर्म स्वीकार किया। प्रार्थी ने बहस के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

(110)

दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)**का विक्रय कर रहा था वह जांच में **असुरक्षित (Unsafe)/अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **सरसों तेल फिल्टर सारथी प्रीमियम क्वालिटी मूल पैक (Mustard Oil Filter Saarthi Premium Quality Origional Pack)**का नमूना जांच में **असुरक्षित (Unsafe) /अवमानक (Sub-Standard)**स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी श्री कालूराम जैन पुत्र महावीर प्रसाद जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स महावीर प्रसाद विनोद कुमार चौपड चौराहे के पास डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक निवासी वार्ड नं. 10 पुराना बाजार डिग्गी तहसील मालपुरा जिला टोंक राज0पर शास्ती 20,000/– (अक्षरे बीस हजार रू0) अप्रार्थी श्री दीपक अग्रवाल पुत्र रामगोपाल प्रोपरायटर मैसर्स अग्रसेन एजेन्सीज सुभाष सर्किल मालपुरा जिला टोंक निवासी माताजी का चौक लाम्बाहरिसिंह तहसील मालपुरा जिला टोंक पर शास्ति 35,000/– (अक्षरे पेतीस हजार रू0) तथा अप्रार्थी श्री रोहित परागजी भाई गोल पुत्र अमरीश भाई गोल पार्टनर मैसर्स बालाजी ऑयल एण्ड फूड प्रोडक्ट्स इण्डस्ट्रीज जे–376 करणी इण्डस्ट्रीयल एरिया बीकानेर राज0 निवासी सारंगपुर अमरेली सूरत गुजरात पर शास्ति 70,000/– (अक्षरे सत्तर हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 24.05.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner